राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प. 10(6)नविवि/3 /81 पार्ट–2 जयपुर, दिनांक :

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25.10.2016 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 22.02.2022 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत भीलवाडा शहर नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गए मास्टर प्लान–2035 का अनुमोदन किया जा चुका है। नगर विकास न्यास, भीलवाडा की न्यास मण्डल की बैठक दिनांक 06.08.2024 मे लिये गये निर्णय एवं न्यास के प्रस्ताव अनुसार न्यास क्षेत्राधिकार के तैयार किये गये जोनल डवलपमेन्ट प्लान–'सी' के दृष्टिगत भीलवाडा मास्टर प्लान–2035 में प्रस्तावित संशोधनों में से F, G एवं H को छोडते हुए शेष A, B, C, D एवं E संशोधन प्रस्तावों का निम्न शर्तो के अध्यधीन अनुमोदन कर दिया गया हैः–

1. प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक ईकाइयों की अनुमति से पूर्व राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्राप्त करना तथा औद्योगिक ईकाइयों के Effluent का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परिशोधन सुनिश्चित किया जावे।
2. प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण में तालाब/बंध स्थित है। अतः इनके भराव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र एवं इनमें मिलने वाली Drainage Channels को संरक्षित रखते हुए इन से लगते हुए नियमानुसार बफर क्षेत्र रखा जावे।
3. भीलवाडा मास्टर प्लान–2035 की रिपोर्ट के प्रावधानों के साथ मुख्य रूप से प्रावधान संख्या 3.2(9) व 3.2 (15) एवं 6.4 की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त शर्तों की सुनिश्चितता नगर विकास न्यास, भीलवाडा स्तर से की जावे।

भीलवाडा मास्टर प्लान–2035(संशोधित) की प्रति का अवलोकन कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाडा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

RajKaj Ref No.: 11669153

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
4. शासन उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, भीलवाडा।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाडा।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
9. सहायक निदेशक, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम

Document certified by RAVI VIJAY
<ravijay26@gmail.com>

Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy
Secretary To Government
Date :08-11-2024 05:46:42